राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :— 07432—230645,
07432 —230646

फोन न. 07432—230403, फैक्स न. —230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 934

दिनांकः 15.02.2018

—: आदेश :—

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 17 / 2277—78 दिनांक 22.01.2018 से पुलिस थाना मनोहरथाना के अभियोग सं0 15 / 18 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त फूल सिंह उर्फ फूलचंद पुत्र कालूराम जाति तंवर उम्र 35 साल निवासी खानपुरिया थाना मनोहरथाना के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.01.2018 को श्री रमेशचंद मीणा , हैड कानि0 मोटर सायकल से गश्त करता हुआ चौकी सेमलीहाट पहुंचकर मय जाप्ते के इलाका एंव अवैध कार्यो की चैकिंग हेतु रवाना होकर पुनः सेमलीहाट आने पर पुलिया के पास एक व्यक्ति नजर आया जिसके पास बदूंक थी,जो पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे जाप्ते की इमदाद से डिटेन किया तो उसने अपना नाम फूलसिंह उर्फ फूलचंद पुत्र कालूराम जाति तंवर उम्र 35 साल निवासी खानपुरिया थाना मनोहरथाना का होना बताया। जिसे तलाशी मे एक अवैध टोपीदार बदूंक मिली। जिसको रखने व परिवहन का अनुज्ञापत्र नही होना बताया। मौके पर कार्यवाही कर वापसी थाना पर प्रकरण सं0 15 / 18 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट मे पंजीबद्व कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये अभियुक्त फूलसिह उर्फ फूलचंद को गिरफतार कर अनुसंधान किया गया। जब्तशुदा टोपीदार एक नाली बदूंक का मेकेनिकल मुआयना आरर्मोरर पुलिस लाईन से करवाया गया। आरर्मोरर ने अपनी रिपोर्ट मे मोजूदा समय मे घोडा हैमर ट्रेगर पर नही रूकने के कारण फायर करने योग्य नही होना अंकित करते हुए बाद मरम्मत फायर योग्य होना बताया। जो फायर आर्म्स की जद मे आती है। अभियुक्त फूलसिंह उर्फ फूलचंद के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री झण्डेल सिंह, एएसआई थाना मनोहरथाना व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड टोपीदार बदूंक एक नाली को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त फूल सिंह उर्फ फूलचंद पुत्र कालूराम जाति तंवर उम्र 35 साल निवासी खानपुरिया थाना मनोहरथाना के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड